न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 10/2019

प्रार्थी

1. मृतक श्री देवयानी पत्नि स्व. श्री जयशंकरजी बुद्धिया के कायम मुकाम–
2. श्रीमती ममता पुत्री स्व. श्री जयशंकर बुद्धिया जाति ब्राह्मण निवासी झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही हाल पाडीव तहसील व जिला सिरोही।
3. श्री जितेन्द्र पुत्र स्व. श्री जयशंकर बुद्धिया जाति ब्राह्मण निवासी झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती दीना बुद्धिया पत्नि श्री ललित बुद्धिया जाति ब्राह्मण निवासी झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही हाल मुम्बई।
2. श्री ललित पुत्र स्व. श्री जयशंकर बुद्धिया जाति ब्राह्मण निवासी झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री महेन्द्र पुत्र स्व. श्री जयशंकर बुद्धिया जाति ब्राह्मण निवासी झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. सरपंच ग्राम पंचायत झाडोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री अशोक पुरोहित प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से।
3. श्री भूपेन्द्र पुरोहित अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से।

निर्णय **दिनांक 22.11.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 66, 67, 68, 69 व 70 दिनांक 09.09.2013 संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.02.2013 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत नियम विरुद्ध जारी किया गया है । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर [illegible] अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे एवं अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र पुरो[illegible] जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दोनो पक्ष [illegible] बहस सुनी गई [illegible]

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री अशोक [illegible]हित द्वारा दौराने बहस मेरा [illegible] प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियमो के विपरित पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को विवादित पट्टे प्रार्थी संख्या एक की पुश्तैनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

भूखण्ड के राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध जारी किया गया है। ग्राम पंचायत झाडौली को पुश्तैनी भूखण्ड के पट्टे केवल अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह है कि ग्राम झाडोली में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक से तीन सभी की स्वामित्व एवं कब्जे आधार की आवासीय सम्पत्ति मकानात मय खुली भूमि कुल पांच अचल सम्पत्ति आई हुई है। यह है कि ग्राम झाडोली में स्थित उक्त पांच पुश्तैनी भूखण्डों का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक ने ग्राम पंचायत झाडौली के साथ मेल–मिलाप कर गलत रूप से सभी भूखण्डों के एक ही दिन पट्टे जारी कर दिए। इस संबंध में प्रार्थी संख्या एक द्वारा कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही एवं उपखण्ड स्तर पर आपराधिक षडयंत्र की शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने से एवं इनके द्वारा सक्षम न्यायालय में पट्टा निरस्त कराने की कार्यवाही पेश करने की हिदायत देने पर यह निगरानी आवेदन पेश किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी उक्त पट्टे संख्या 66, 67, 68, 69 व 70 दिनांक 09.09.2013 संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.02.2013 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक व दो के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा शुल्क लेकर जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है । इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी संख्या एक के पति श्री जयशंकर ने अपने जीवनकाल में दो शादियां की, जिससे अप्रार्थी संख्या एक उनके पहली पत्नि की संतान थी एवं प्रार्थी संख्या दो व तीन एवं अप्रार्थी संख्या दो उनके बाद की पत्नि की संतान है। यह है कि अप्रार्थी संख्या तीन अपनी सम्पत्ति के लिए झगडा करने लगा तो अप्रार्थी संख्या तीन को उसका हिस्सा देकर अलग कर दिया जिसका लिखित में वर्ष 2004 में निष्पादित करवाया गया एवं उसके बाद अप्रार्थी संख्या तीन ने फिर से अपने हिस्से के लिए मुसिफ कोर्ट पिण्डवाडा में दावा किया जिसमें एक लिखित राजीनामा दिनांक 04.10.2010 को निष्पादित हुआ। यह है कि वर्ष 2013 में प्रार्थी संख्या एक व दो एवं अप्रार्थी संख्या दो के आपसी सहमति से उक्त पट्टे संख्या 66, 67, 68, 69 व 70 दिनांक 09.09.2013 संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.02.2013 प्रार्थी संख्या एक की पुत्रवधु के नाम से बनवाए। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो अपने परिवार का व प्रार्थी संख्या एक व दो का सारा खर्चा करता था एवं प्रार्थी संख्या एक की बीमारी का समस्त खर्चा अप्रार्थी संख्या दो द्वारा ही किया गया। यह है कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या एक की पुश्तैनी नहीं रही हो बल्कि जिस परिवार में शादी करके आई वह सम्पत्ति उसके पति के सहयोग से पुश्तैनी ही मानी जाती है। यह है कि ग्राम झाडौली में एक प्लॉट श्री रेवाशंकरजी के पुत्र श्री चन्दूभाई उर्फ चन्द्रप्रकाश जो वर्ष 1991 में अपार्थी संख्या दो ने अपनी पत्नि अप्रार्थी संख्या एक के नाम से खरीदा था, उक्त प्लॉट का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के नाम एवं अन्य पट्टे प्रार्थीगणों की सहमति से बनवाए है, जो किसी भी [illegible] नहीं है। यह है कि प्रार्थीगणों की सम्पत्ति जो मुम्बई में आई हुई है, उ[illegible]संख्या एक व अप्रार्थी संख्या दो का हिस्सा बनता है। उक्त [illegible] अप्रार्थी संख्या तीन हडपना चाहते है। इसलि[illegible] निगरानी साजि[illegible] पेश की है। यह है कि प्रार्थी संख्या एक का गम्भीर बीमार [illegible] गया, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या [illegible] है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के द्वारा आज तक की गई सेवा एवं खर्चे को भूलकर प्रार्थीगणों ने यह निगरानी पेश की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र पुरोहित द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान निगरानीं मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो ग्राम पंचायत झाड़ौली के तत्कालीन पदाधिकारियों से मेल–मिलाप कर अप्रार्थी संख्या एक के नाम पुराने गृहों का पट्टा जारी करवा लिया है, जो गलत है। यह है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी में जो कथन किए गए है, वे सभी कथन सही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगणों का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार करना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज व अप्रार्थी संख्या तीन की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, झाड़ौली द्वारा पट्टा संख्या 66, 67, 68, 69 व 70 दिनांक 09.09.2013 संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.02.2013 को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किए गए है। **राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार–**

जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा–

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत सनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सनिर्मित क्षेत्रफलः

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व 50 वर्षों से अधिक 100 रूपये पूर्व में सनिर्मित पुराने गृहों के लिए

ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्त्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या दो व तीन की पुश्तैनी आवासीय भूमि है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो की पत्नि अप्रार्थी संख्या के नाम राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किए है। अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या तीन एवं प्रार्थीगणों के मध्य दिनांक 02.05.2004 एवं दिनांक 04.10.2010 के मध्य लिखित समझौता हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त समझौता अप्रार्थी संख्या तीन एवं प्रार्थीगणों के मध्य हुआ है, लेकिन उक्त पट्टे केवल अप्रार्थी संख्या दो की पत्नि अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी किए गए है, जिससे प्रार्थीगणों के सुखाधिकारों का हनन होना प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या एक व [illegible] किया है कि चार भूखण्डों का पट्टा प्रार्थीगणों की सहमति से एवं एक अ[illegible] जो अप्रार्थी संख्या दो श्री रेवाशंकर के पुत्र श्री चन्दूभाई उर्फ [illegible] ग्राम पंचायत झाड़ौली द्वारा अपनी पत्नि अप्रार्थी संख्या एक के नाम जारी करवाया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि वर्ष 1991 में उक्त भूखण्ड श्री चन्द्रकान्त रेवाशंकर से अप्रार्थी संख्या [illegible] की पत्नि के नाम नहीं खरीदकर श्री जयशंकर की पत्नि प्रार्थी संख्या एक के नाम खरीदा था। अतः उक्त क्रयशुदा भूखण्ड प्रार्थी संख्या एक के नाम होने से इस पर उनके सभी वारिसानों का हक माना जाना न्यायसंगत होगा। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने स्वयं यह स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

किया है कि उक्त चार भूखण्ड पुश्तैनी भूखण्ड है एवं एक अन्य भूखण्ड वर्ष 1991 में क्रय किया था। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो के कथनों से यह स्पष्ट है कि उक्त चार भूखण्ड पुश्तैनी भूखण्ड है एवं अन्य क्रयशुदा भूखण्ड, जिसके क्रय किए जाने का लिखित दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है उसके आधार यह भूखण्ड प्रार्थी संख्या एक के नाम से क्रय होने से उस पर भी उनके सभी वारिसानों का हक होगा। अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या दो ने प्रार्थीगणों एवं स्वयं अप्रार्थी संख्या दो की आपसी सहमति से उक्त विवादित पट्टे ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अपनी पत्नि अप्रार्थी संख्या एक के नाम नाम जारी करवाए थे। इस संबंध में पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करता हो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या दो के मध्य उक्त विवादित पट्टो को बनवाने के संबंध में कोई आपसी सहमति हुई हो। अतः अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे कि उक्त विवादित पट्टों को जारी बनवाने के संबंध में प्राथीगण एवं अप्रार्थी संख्या दो के मध्य आपसी सहमति थी। जहां तक अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या दो ने अपने परिवार एवं प्रार्थी संख्या एक व दो का समस्त खर्चा एवं उनकी माता के इलाज का समस्त खर्च वहन किया था। यह है कि इस संबंध में अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने बिल भी प्रस्तुत किए है। उक्त कथन मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अपने परिवार व प्रार्थी संख्या एक व दो का समस्त खर्चा एवं उनकी माता के इलाज का खर्चा किए जाने से प्रार्थीगणों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी उक्त विवादित पट्टो का निरस्त करना न्यायसंगत होगा। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 66, 67, 68, 69 व 70 दिनांक 09.09.2013 संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.02.2013 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:30:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner